न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 आर एन/11–5/1067/1994 विरूध्द आदेश दिनांक 16–09–94 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 87/अ–19/1990–91 निगरानी.

1– प्रभू तनय बुध्द यादव
2– दयाली तनय बुध्द यादव
3– लछमन तनय बुध्द यादव
4– परमानंद तनय बुध्द यादव
सभी निवासी पनयारा खैरा, तह0 जतारा
जिला टीकमगढ़, म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूध्द

1– म0प्र0 शासन
2– छन्नूलाल तनय परसू ब्रा0 (फोत)
उत्तराधिकारीगण–
1– मनीराम तनय छन्नूलाल
2– शालिकराम तनय छन्नूलाल
3– दयाराम तनय छन्नूलाल
4– प्रदीपकुमार तनय छन्नूलाल
5– श्रीमती लारीबाई बेवा छन्नूलाल
सभी निवासी वरमाडाग, तह0 जतारा,
जिला टीकमगढ़, म0प्र0 ---- अनावेदकगण

श्री राजेश सेन, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री राजेश त्रिवेदी, अभिभाषक– अनावेदक क0–1 शासन

आदेश

(आज दिनांक 15 अगस्त, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के निगरानी प्रकरण कमांक 87/अ–19/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 16–09–94 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 12–04–88 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि 382, 383 एवं 385 कुल रकबा 1.737 हे0 पर 2 अक्टूबर 1984 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर दखल रहित अधिनियम 1984 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक छन्नूलाल व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष निगरानी आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने प्रश्नाधीन भूमि पर उनका कब्जा होने व भूमि सुधार किये जाने से व्यवस्थापन की मॉग की। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 91ए/निगरानी/85–86 में पारित आदेश दिनांक 31–10–88 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर 02–10–84 को आवेदकगण का कब्जा नहीं पाये जाने से नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। आवेदकगण प्रभू आदि व्दारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 22–08–90 में यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्व में भूमि वन विभाग के अन्तर्गत थी, किन्तु उस पर छन्नूलाल तथा आवेदकगण का कभी कब्जा नहीं रहा, इसलिये अपर कलेक्टर व्दारा निगरानी निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी निगरानी अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 16–9–94 व्दारा खारिज की। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। निगरानी में आवेदक व्दारा यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का 2 अक्टूबर 1984 के पूर्व से लगातार कब्जा होकर उनके व्दारा इस पर कृषि कार्य किया जाता रहा है। आवेदकगण भूमिहीन, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं और उनके व्दारा प्रश्नाधीन भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। आवेदकगण का गॉव वन ग्राम है। भूमि ग्राम बनया राखेरा की है। प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग को अन्तरित की गयी है। अपर कलेक्टर

एवं अपर आयुक्त ने बिना किसी आधार के प्रश्नाधीन भूमि नजूल की भूमि होना माना है। उनका तर्क है कि दखलरहित अधिनियम 1984 के अन्तर्गत आवेदकगण भूमिहीन होने तथा प्रश्नाधीन भूमि पर 2–10–84 के पूर्व से लगातार कृषि कार्य कर कब्जा होने से भूमि प्राप्त करने की पात्रता है। उनका अन्त में यह भी तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने निगरानी में नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी को निगरानी श्रवण करने की अधिकारिता नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से शून्यवत है, किन्तु अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने आदेश पारित करते समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः आवेदकगण व्दारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क0–1 शासन के अभिभाषक का तर्क है कि दखलरहित अधिनियम के अन्तर्गत 2–10–84 को प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होने पर भूमि का व्यवस्थापन किया जा सकता है, किन्तु आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि पर 2–10–84 को कब्जा होना सिध्द नहीं कर सके हैं। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी व्दारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है जिसे दोनों निगरानी न्यायालयों अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त व्दारा यथावत रखा गया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना, विशेष उपबन्ध अधिनियम, 1984 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि –

" गॉव में समस्त दखल रहित भूमि में की भूमि पर 2 अक्टूबर 1984 को किसी कृषिक श्रमिक का कब्जा हो, संहिता या उसके अधीन निर्मित नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति व्दारा उक्त दिनांक से भूमिस्वामी अधिकारों में धारित की जायेगी और वह उक्त भूमि का भूमिस्वामी संहिता के और तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के समस्त आशयों के लिये होगा।"

नायब तहसीलदार व्दारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लेने के पश्चात प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा 2–10–84 के पूर्व से होने तथा आवेदकगण भूमिहीन होने से भूमि व्यवस्थापित की गयी है। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में खसरा वर्ष 1984–85 में आवेदकगण का कब्जा दर्ज नहीं होने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा नहीं होना माना है, किन्तु इस संबंध में उन्होंने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गयी मौखिक साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया, इसलिये अपर कलेक्टर का निष्कर्ष अभिलेख सम्मत होना मान्य नहीं किया जा सकता। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 91ए/निगरानी/85–86 में पारित आदेश दिनांक 31–10–88 व्दारा नायब तहसीलदार का दखलरहित अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश निरस्त किया है, किन्तु संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी की अधिकारिता तत्समय कलेक्टर, बन्दोवस्त अधिकारी,आयुक्त, बन्दोवस्त आयुक्त तथा मण्डल को प्रदत्त की गयी। अनुविभागीय अधिकारी को धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी श्रवण करने की अधिकारिता नहीं थी। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से शून्यवत है, किन्तु अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त व्दारा आदेश पारित करते समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी का आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 16–09–94, अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 22–08–90 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31–10–88 निरस्त किये जाते हैं। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 12–04–88 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,